रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433] **नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2017/कार्तिक 17, 1939**
No. 433] **NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2017/KARTIKA 17, 1939**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2017

फा. सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य-II/स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2017.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव , यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे या regulation@fssai.gov.in पर मेल किए जा सकेंगे।

ऐसे आक्षेप या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है) के परिशिष्ट क में "IV. खाद्य उत्पादों में खाद्य सहयोज्य पदार्थों का उपयोग" शीर्षक के अंतर्गत, —

(क) सारणी 1 में खाद्य सहयोज्य पदार्थ एन्नाटो से संबंधित खाद्य श्रेणी सिस्टम 1.6.1 संबंधी प्रविष्टियों के सामने कॉलम (4) की प्रविष्टि "160ख" की जगह "160ख (i), (ii)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए;

(ख) सारणी 2 में,—

(i) वनस्पति तेल एवं वसा से संबन्धित खाद्य श्रेणी प्रणाली 2.1.2 के (3) से (6) स्तम्भ में

"प्राकृतिक और कृत्रिम टोकोफेरोल	307	जीएमपी	
एसकोर्बिल एस्टर्स		500 मिग्रा/किग्रा	10"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	नोट
"टोकोफेरोल		जीएमपी	
एसकोर्बिल एस्टर्स		500 मिग्रा/किग्रा	";

(ii) खाद्य सहयोज्य "सोर्बिटान मोनोपाल्मिटेट/सोर्बिटान मोनोस्टीरेट/ ट्राइस्टीरेट" से संबंधित खाद्य श्रेणी प्रणाली 2.2.2 संबंधी प्रविष्टि के सामने कॉलम (4) की प्रविष्टियों "495, 491" की जगह "495, 491, 492" प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँ;

(ग) सारणी 4 में, खाद्य श्रेणी प्रणाली 4.2.2.1 में खाद्य श्रेणी फ़्रोजन सब्जियाँ (मशरूम और कवक, जड़ों और कंद, ताजा दाल और फलियों, और एलोवेरा सहित) समुद्र बीड, नट और बीज से संबंधित संबंधी प्रविष्टियों के सामने खाद्य सहयोज्य सल्फाइट और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित सामग्री जोड़ी जाए, अर्थात्:—

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	नोट
"कैल्शियम क्लोराइड	509	जी.एम.पी	29,323, 324
कैल्शियम सल्फेट	516	जी.एम.पी	29,323, 324.";

(घ) सारणी 5 में, खाद्य सहयोज्य क्लोरोफिल और क्लोरोफिलिन, कॉपर मिश्र से संबंधित खाद्य श्रेणी सिस्टम 5.1.3 संबंधी प्रविष्टि के सामने कॉलम (4) की प्रविष्टि "6 मिग्रा/किग्रा" की जगह "700 मिग्रा/किग्रा" प्रतिस्थापित की जाए;

(ङ) सारणी 6 में अनाज और स्टार्च आधारित डेजर्ट से संबंधित खाद्य श्रेणी सिस्टम 6.5 संबंधी प्रविष्टि के सामने कॉलम (3) की प्रविष्टि ''कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज'' की जगह ''सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्युलोज (सेल्युलोज गम), सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्युलोज, एन्जाइमों से जल-अपघटित (सेल्युलोज गम, एन्जाइमों से जल-अपघटित)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए;

(च) सारणी 12 में-

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली 12.1.1 संबंधी प्रविष्टि के सामने कॉलम (3) की प्रविष्टि ''सोडियम 300ydroly सिलिकेट'' की जगह ''सोडियम एल्युमिनोसिलिकेट'' प्रतिस्थापित की जाए;

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 12.5.2 संबंधी प्रविष्टियों के सामने कॉलम (3) की प्रविष्टि ''सोडियम 303ydroly सिलिकेट'' की जगह ''सोडियम एल्युमिनो-सिलिकेट'' प्रतिस्थापित की जाए;

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 12.6 संबंधी प्रविष्टियों के सामने कॉलम (3) में ''खाद्य सहयोज्य पदार्थ डाइमिथाइल पॉलिसिलोक्सेन'' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्,—

खाद्य सहयोज्य पदार्थ	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पणी
"प्रोपिलीन ग्लाइकोल एल्गीनेट"	405	200 मिग्रा/किग्रा"	

(छ) सारणी 14 में —

(i) फल रस (औद्योगिक उपयोग के फल रस**,** ऊष्मा-प्रसंस्कृत फल रस) से संबंधित खाद्य श्रेणी सिस्टम 14.1.2.1 संबंधी प्रविष्टियों के सामने कॉलम (3) की प्रविष्टि **"**ईस्टर गम**"** की जगह **"**काष्ठ रेजिन का ग्सिरोल ईस्टर**"** प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए**;**

(ii) वनस्पति रस सांद्र (औद्योगिक उपयोग के लिए सांद्र वनस्पति रस) से संबंधित खाद्य श्रेणी सिस्टम 14.1.2.4 संबंधी प्रविष्टियों के सामने**,—**

(क**)** कॉलम (3) की प्रविष्टि **"**खाद्य तेलों के वसीय अम्लों के मोनो और डाईग्लिसराइड**"** की जगह **"**वसीय अम्लों के मोनो और डाईग्लिसराइड**"** प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए**;**

(ख**)** कॉलम (4) में खाद्य सहयोज्य **"**नाइट्रोजन**"** के सामने की प्रविष्टि **"918"** की जगह **"941"** प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए**;**

(iii) **"खेल", "ऊर्जा"** अथवा **"इलेक्ट्रोलाइट"** पेय सहित जल-आधारित सुवासित पेय और कार्बोनेटित फ्रूट बीवरेज, कार्बोनेटित बीवरेज विट फ्रूट सहित पार्टीकुलेटित पेय से संबंधित खाद्य श्रेणी सिस्टम 14.1.4 में,-

(अ) कॉलम (6) में खाद्य सहयोज्य कीलाइया एक्सट्रेक्टस के सामने की प्रविष्टि **"293,** 132, 168**"** की जगह **"293,** 132**"** प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए;

(ब) कॉलम (6) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ एलीटेम के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात,-

"अनुमत, बिक्री मशीनों को छोड़कर"

(स) कॉलम (6) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ नीयोटेम के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात,-

"अनुमत, बिक्री मशीनों को छोड़कर"

(द) कॉलम (6) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ सूक्रालोज (ट्राइक्लोरोगैलैक्टोजसूक्रोज) के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात,-

"अनुमत, बिक्री मशीनों को छोड़कर"

(iv) पंच और बियर, जिंजर कॉकटेल (जिंजर बियर और जिंजर एल), ऊष्मा-प्रसंस्कृत फल बीवरेज/फल पेय/परोसने के लिए तैयार फल बीवरेज सहित गैर-कार्बोनेटित जल आधारित सुवासित पेयों से संबंधित खाद्य श्रेणी सिस्टम 14.1.4.2 में,-

(अ) कॉलम (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ कैरोटीनोइड" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य पदार्थ और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ, अर्थात्-

खाद्य सहयोज्य	आई.एन.एस. सं.	अनुशंस्ति अधिकतम स्तर	नोट
"कैंथाजैंथीन	161ग्रा	200 मिग्रा/किग्रा	
राइबोफ्लेविन		200 मिग्रा/किग्रा	";

(ब) कॉलम (4) में खाद्य सहयोज्य एन्नाटो के सामने की प्रविष्टि "160(ख)" की जगह "160ख(i), (ii)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए;

(v) जल-आधारित सुवासित पेयों (डिस्पेंसरों के लिए संश्लेषित सिरप, शरबत (संश्लेषित सिरप)* स्क्वैश, क्रश, फल सिरप, शक्तिवर्धक सामग्रियों और बार्ले वाटर के लिए सांद्रों (द्रव अथवा ठोस) से संबंधित खाद्य श्रेणी सिस्टम 14.1.4.3 में,-

(अ) खाद्य सहयोज्य सैक्करीन के सामने कॉलम (6) में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए, अर्थात्,-

"अनुमत, बिक्री मशीनों को छोड़कर"

(ब) खाद्य सहयोज्य एस्पार्टेन के सामने कॉलम (6) में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए, अर्थात्,-

"अनुमत, बिक्री मशीनों को छोड़कर"

(स) खाद्य सहयोज्य पदार्थ एस्पार्टेन के सामने कॉलम (6) में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए, अर्थात्,-

"अनुमत, बिक्री मशीनों को छोड़कर"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./304/17]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/ 2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यकों द्वारा संशोधित किए गए थे; —

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी. 15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;

(iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

(v) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई. पीएएन–अधि./एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

(vii) फा. सं. पी. 15025/264/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(viii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(ix) फा. सं. पी. 15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(x) फा. सं. पी. 15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xi) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xii) फा. सं. 1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;

(xiii) फा. सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य/)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;

(xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ़/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;

(xv) फा. सं. 3-14 एफ़/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफ़एसएसएआई – 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;

(xvi) फा. सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;

(xvii) फा. सं.1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(xviii) फा. सं. /11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2017, तारीख 5 सितंबर, 2016;

(xix) फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;

(xx) फा. सं.11/12/विनि./प्रोप./एफएसएसएआई-2016, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;

(xxi) फा. सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;

(xxii) फा. सं. मानक/एसपी(जल एवं पेय)/अधि(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016;

(xxiii) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;

(xxiv) फा. सं. पी./15025/93/2011-पीएफ़ए/एफ़एसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;

(xxv) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफ़एस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;

(xxvi) फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफएसएसएआई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;

(xxvii) फा. सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;

(xxviii) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफ़एसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;

(xxix) फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;

(xxx) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून, 2017;

(xxxi) फा. सं.1/योजक/मानक/14.2.अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016 तारीख 31 जुलाई, 2017;

(xxxii) फा. सं. मानक/एफ़एवंवीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017;

(xxxiii) फा. सं. 1-94(1)/एफ़एसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;

(xxxiv) फा. सं. मानक/एम. एंड एम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 12 सितंबर, 2017;

(xxxv) फा. सं. मानक/एसपी (पानी एवं पेय)/अधि. (1)/एफ़एसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxvi) फा. सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxvii) फा. सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/ऍफ़ एस एस ऐ आई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;

(xxxviii) फा. सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017 और

(xxxix) फा. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2017

No. 1/Additional Additives-II/Stds/Notification/FSSAI/2017.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said

draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as said regulation), in Appendix A, under the heading "IV. USE OF FOOD ADDITIVES IN FOOD PRODUCTS", -

(a) in Table 1, against the entries relating to Food Category System 1.6.1, pertaining to Food Additive Annatto, for entry in column (4) "160b" the entries "160b(i), (ii)" shall be substituted;

(b) In Table 2,

(i) against the entries relating to Food Category System 2.1.2, pertaining to Vegetables oils and fats, for the entries in columns (3) to (6)

"Natural and synthetic tocopherols	307	GMP	
ASCORBYL ESTERS		500mg/kg	10"

The following entries shall be substituted, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"TOCOPHEROLS		GMP	
ASCORBYL ESTERS		500mg/kg	";

(ii) against the entries relating to Food Category System 2.2.2, pertaining to Food Additive "Sorbitian monopalmitate / sorbitan monostearte/ tristearate", for the entries in column (4) "495, 491" the entries "495, 491, 492" shall be substituted;

(c) In Table 4, against the entries relating to Food Category System 4.2.2.1, pertaining to Food category Frozen Vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds, after the food additive SULFITES and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"Calcium chloride	509	GMP	29,323, 324
Calcium sulphate	516	GMP	29,323, 324.";

(d) In Table 5, against the entries relating to Food Category System 5.1.3, pertaining to Food Additive **CHLOROPHYLLS AND CHLOROPHYLLINS, COPPER COMPLEXES,** for the entry in column (4) "6 mg/kg", the entry "700mg/kg" shall be substituted;

(e) In Table 6, against the entries relating to Food Category System 6.5, pertaining to cereals/pulses and starch based desserts, in column (3) for the entry "Carboxy methyl cellulose", the entries "Sodium carboxymethyl cellulose (Cellulose gum), Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed (Cellulose gum, enzymatically hydrolyzed)" shall be substituted;

(f) In Table 12,-

(i) against the entries relating to Food Category System 12.1.1, in column (3), for the entry "Sodium 300ydroly silicate" the entry "Sodium aluminosilicate" shall be substituted;

(ii) against the entries relating to Food Category System 12.5.2, in colum (3) for the entry "Sodium 303ydroly silicate", the entry "Sodium aluminosilicate" shall be substituted;

(iii) against the entries relating to Food Category System 12.6, in columns (3), after the food additive Dimethyl polysiloxane and the entries relating thereto, the shall be inserted, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"Propylene glycol alginate	405	200 mg/kg	";

(g) In Table 14,-

(i) against the entries relating to Food Category System 14.1.2.1, pertaining to Fruit juices (fruit juices for industrial use, thermally processed fruits juices), in column (3), for the entry "Ester gum" the entry "Glycerol ester of wood resin" shall be substituted;

(ii) against the entries relating to Food Category System 14.1.2.4, pertaining to Concentrates of vegetable juices (concentrated vegetable Juices for industrial use,-

(A) in column (3), for the entry "Mono-and diglycerides of fatty acids of edible oils", the entry "Mono-and diglycerides of fatty acids" shall be substituted;

(B) against the Food Additive "Nitrogen", in column (4), for the entry "918" the entry "941" shall be substituted;

(iii) in food category system 14.1.4, pertaining to Water-based flavoures drinks, including "sport" "energy" or "electrolyte" drinks and particulated drinks, includes carbonated fruit beverages, carbonated beverages with fruits,-

(A) against the Food Additive **QUILLAIA EXTRACTS**, in column (6), for the entries "293, 132, 168" the entries "293, 132" shall be substituted;

(B) against the Food Additive Alitame, in column (6), the following entry shall be inserted, namely:-

"Permitted, except for vending machines"

(C) against the Food Additive Neotame, in column (6) the following entry shall be inserted, namely:-

"Permitted, except for vending machines"

(D) against the Food Additive Sucralose (Trichlorogalactosucrose), in column (6), the following entry shall be inserted, namely:-

"Permitted, except for vending machines"

(iv) in Food Category System 14.1.4.2 pertaining to Non-carbonated water based flavoured drinks including punches and ades, ginger cocktail (ginger beer and ginger ale), thermally processed fruit beverages/fruit drinks/ready to serve fruit beverages,-

(A) after the Food Additive CAROTENOIDS and the entries relating thereto, the following shall be omitted, namely:-

Food Additive	Ins No.	Recommended maximum level	Note
"Canthaxanthin	161g	200 mg/Kg	
RIBOFLAVINS		200 mg/Kg	";

(B) against the Food Additive Annatto, the entries "160b (i), (ii)" shall be substituted;

(v) in Food Category System 14.1.4.3, pertaining to Concentrates (liquid or solid) for water-based flavoured drinks (synthetic syrups for dispensers, sharbat (synthetic syrup)*, squashes, crushes, fruit syrups, cordials and barley water",-

(A) against the Food Additive **SACCHARINS**, in column (6), the following entry shall be inserted, namely:-

"Permitted, except for vending machines"

(B) against the food additive Aspartame, in column (6), the following entry shall be inserted, namely:-

"Permitted, except for vending machines"

(C) against the Food Additive Acesulfame potassium, in column (6) the following entry shall be inserted, namely:-

"Permitted, except for vending machines".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./304/17]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:—

i. F. No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
ii. F. No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
iii. F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
iv. F. No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
v. F. No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
vi. F. No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
vii. F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
viii. F. No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
ix. F. No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
x. F. No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
xi. F. No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
xii. F. No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
xiii. F. No. 3-16/Specified Foods/Notiifcation(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
xiv. F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
xv. F. No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
xvi. F. No. 1-12/Stnadards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
xvii. F. No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
xviii. F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
xix. F. No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
xx. F. No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
xxi. F. No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
xxii. F. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
xxiii. F. No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
xxiv. F. No. P. 15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
xxv. F. No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
xxvi. F. No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
xxvii. F. No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
xxviii. F. No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;

xxix. F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;

xxx. F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;

xxxi. F. No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;

xxxii. F. No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;

xxxiii. F. No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;

xxxiv. F. No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017

xxxv. F. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016, dated 15th September, 2017;

xxxvi. F. No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September,2017;

xxxvii. F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;

xxxviii. F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017 and

xxxix. F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.11 13:32:43 +05'30'

-

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.